



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271528
CG-DL-E-02042026-271528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1619]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1619]

NEW DELHI, WEDNESDAY APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1684(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ईपीसी मोड के तहत बिहार राज्य में एनएच 133ई के भागलपुर-ढाका मोड़-भलझोर (हंसडीहा रोड) खंड के किमी 36.600 से किमी 63.630 (खरहरा गांव से भलझोर बिहार/झारखंड सीमा तक चैनेज 51.800 - 52.320 को छोड़कर) तक मौजूदा दो लेन राजमार्ग को पक्की सड़क के साथ चार लेन में अपग्रेड करना (पैकेज-2) पर अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि भूखंड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

ईपीसी मोड के तहत बिहार राज्य में एनएच 133ई के भागलपुर-ढाका मोड़-भलझोर (हंसडीहा रोड) खंड के किमी 36.600 से किमी 63.630 (खरहरा गांव से भलझोर बिहार/झारखंड सीमा तक चैनेज 51.800 - 52.320 को छोड़कर) तक मौजूदा दो लेन राजमार्ग को पक्की सड़क के साथ चार लेन में अपग्रेड करना (पैकेज-2)

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू-अर्जन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH133E के कि.मी 36.6	बिहार	वांका	बाराहाट	1 खड़हरा 2 सोनडीहा

पदाधिकारी , बांका	से कि.मी 63.63 तक				3	डफरपुर	
					4	औरिया	
					बांका	1	ढाका
					बौसी	1	कसवा मन्दार
						2	बगडुमा
						3	भीखाकिता
						4	नयागांव
						5	दलिया
						6	बौसी
						7	सिकंदर पुर
						8	डहुआ
						9	(सुखिआ बढैत)
						10	भागा
11	गोकुला						
12	करुआनी किता						
13	मैनमा						

[फा. सं. RW/PAT/NH 133E/Km 36.600- 63.630/LA/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1684(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Upgradation of existing two lane highway to Four lane with paved shoulder in km 36.600 to Km 63.630 (Kharhara Village to Bhaljhor Bihar/Jharkhand Border excluding Ch 51.800 – 52.320) of Bhagalpur- Dhaka More-Bhaljhor (Hansdiha Road) section of NH 133E in the State of Bihar (Package-2) under EPC Mode.

SCHEDULE

Upgradation of existing two lane highway to Four lane with paved shoulder in km 36.600 to Km 63.630 (Kharhara Village to Bhaljhor Bihar/Jharkhand Border excluding Ch 51.800 – 52.320) of Bhagalpur-Dhaka More-Bhaljhor (Hansdiha Road) section of NH 133E in the State of Bihar (Package-2) under EPC Mode.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	DLAO, Banka	NH133E KM 36.6 TO KM 63.63	BIHAR	BANKA	Barahat	1	Kharhara
						2	Sondiha
						3	Dafarpur
						4	Auria
					Banka	1	Dhaka
					Bausi	1	Kasbamandar

						2	Bagduma
						3	Bhikha Kita
						4	Nayagoan
						5	Dalia
						6	Bausi
						7	Sikandar Pur
						8	Dahua
						9	Sukhia Barait
						10	Bhaga
						11	Gokula
						12	Karuani Kita
						13	mainma

[F. No. RW/PAT/NH 133E/Km 36.600- 63.630/LA/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director